



## सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक : एस.एस.वि.वि./कु.सं. 8/09/2019

दिनांक 22.06.2019

### कार्यालय-ज्ञाप

एन.सी.टी.ई. बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली के पत्रांक संख्या एन.सी.टी.ई.-आर.ई.जी. 1011/326/2017-यू.एस.(रेगुलेशन) एच.क्यू. दिनांक 14.06.2019 द्वारा प्रस्तावित 04 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश शासन ने अपने पत्रांक- 360/सत्तर-1-2019-16(13)/2019 दिनांक 01.06.2019 द्वारा राज्य सरकार की अनापत्ति निर्गत कर दी है।

अतः एन.सी.टी.ई. के 04 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम हेतु अर्ह एवं इच्छुक महाविद्यालय/संस्थाएं अपना आवेदन-पत्र एन.सी.टी.ई. की वेबसाइट (<http://ncte.gov.in/ITEP/welcome.aspx>) पर ऑनलाइन दिनांक 31.07.2019 (अंतिम तिथि) तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

कुलसचिव  
स.सं.वि.वि., वाराणसी  
22/06/19

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. प्रतिकुलपति।
3. संकायाध्यक्ष, आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय।
4. विभागाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र विभाग।
5. सिस्टम मैनेजर, विश्वविद्यालयीय वेब-साइट तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों के कॉलेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
6. आशुलिपिक कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
7. अधीक्षक (प्रशासन)।
8. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव  
स.सं.वि.वि., वाराणसी  
22/06/19

8/09/19

22/06/19

संख्या- 360 (1) सत्तर-1-2019-16(13)/2019

प्रेषक,

राम बहादुर सिंह,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

विश्वविद्यालय विभाग

सेवा में,

1. निदेशक,  
उच्च शिक्षा विभाग,  
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. कुलसचिव,  
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,  
उत्तर प्रदेश।

कुलसचिव

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 19 जून, 2019

विषय:- एन0सी0टी0ई0 द्वारा प्रस्तावित 04 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सदस्य सचिव, एन0सी0टी0ई0, बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली के पत्र संख्या-एन0सी0टी0ई0-आर0ई0जी0 1011/326/2017-यू0एस0 (रेगुलेशन) एच0क्यू0 दिनांक 14-6-2019 (छाया प्रति संलग्न) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एन0सी0टी0ई0 द्वारा प्रस्तावित 04 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश में संचालित किये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या-360/सत्तर-1-2019-16(13)/2019 दिनांक 01 जून, 2019 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा राज्य सरकार की अनापत्ति निर्गत कर दी गयी है। 2- एन0सी0टी0ई0 के पत्र दिनांक 14-6-2019 में शासन के पत्र दिनांक 01-6-2019 के संदर्भ में यह उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य के लिये आवेदन करने की अनुमति प्रदान की गयी है। पूर्ण आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31-7-2019 है। उत्तर प्रदेश की अर्ह एवं इच्छुक संस्थाएं ऑनलाइन आवेदन-पत्र एन0सी0टी0ई0 की दी गयी वेबसाइट पर प्रस्तुत कर सकती हैं।

एन0सी0टी0ई0 की उक्त अपेक्षा के संदर्भ में कृपया प्रस्तावित 04 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश में संचालित करने के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करते हुये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(राम बहादुर सिंह)  
विशेष सचिव





SANJAY AWASTHI, I.R.S.  
MEMBER SECRETARY

NCTE-Reg1011/326/2017-US(Regulation) HQ  
Dated: 14.06.2019

Dear

Shri Singh,

Please refer to your DD NO. 360/70-1-2019-16(13)/2019 dated 01.06.2019 regarding adoption of 4-Years Integrated Teacher Education Programmes by the Government of Uttar Pradesh for implementing it in the eligible institutions of the State. The NCTE has considered your request and the portal of the NCTE for 4-Years Integrated Teacher Education Programmes (Appendix 16 and Appendix 17 of NCTE Amendment Regulation 2019) has been opened for the State of Uttar Pradesh from 14.06.2019. The last date for submitting duly completed application shall remain as 31.07.2019.

You are requested to inform the eligible and interested institutions of the State to make applications online (link: <http://ncte.gov.in/ATEP/welcome.aspx>)

Since Uttar Pradesh was not part of the Initial Public Notice (copy enclosed) hence it is requested that wide publicity be given in your end so that Universities and Degree Colleges located in your State may apply. It needs to be kept in mind that a formal recommendation of the State Government needs to be there along with each application, as mentioned in the Public Notice.

Kindly treat this matter as most urgent.

With

regards,

Yours

Sincerely  
Sanjay Awasthi

026/KSHE/19  
Today  
50-1  
Om

14.6.2019

(श्री बहादुर सिंह)  
विश्व शिक्षा विभाग  
उच्च शिक्षा विभाग  
उत्तर प्रदेश

Shri Bahadur Singh  
Member Secretary  
Government of Uttar Pradesh  
Higher Education Section-1  
Navin Bhawan, Uttar Pradesh Secretariat  
Lucknow-226001

Ram Bahadur Singh,  
Special Secretary



D.O. No.360/70-1-2019-16(13)/2019  
Government of Uttar Pradesh  
Higher Education Section-1  
Lucknow : Dated: 01 June, 2019


Respected ~~Mr~~ Madam,

Your kind attention is invited to your letter F.No. NCTE-Reg 011/326/2017-US(Regulation) HO, dated April 04, 2019, which is in reference to soliciting the consent of Department of School Education/Higher Eductaion, Government of Uttar Pradesh for introducing 4-year integrated course involving teacher education courses by National Council for Teacher Education (NCTE).

2- In reference to the matter a status report from the State of Uttar Pradesh has been sent to you vide letter no. 323/70-1-2019-16(13)/2019 dated May 03, 2019, however after reconsidering the matter the Government of Uttar Pradesh is agreed to adopt the new 4-year integrated courses involving teacher education proposed by National Council for Teacher Education (NCTE). The detailed content of the courses including its structure and requirement may also be communicated at the earliest.

Regards,

Your Sincerely,

  
01.6.2019  
(Ram Bahadur Singh)

Dr. Satbir Bedi, IAS  
Chairperson,  
National Council for Teacher Education (NCTE),  
Hans Bhawan (Wing-II), 1, Bahadur Shah Zafar Marg,  
New Delhi-110002